

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन तथा लेखों की गुणवत्ता, वित्तीय रिपोर्टिंग प्रथाओं और राज्य वित्त से संबंधित अन्य मामलों का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यपालिक सारांश इस प्रतिवेदन की विषयवस्तु पर प्रकाश डालता है और महत्वपूर्ण आंकड़ों एवं पहलुओं के सारांश के माध्यम से राजकोषीय धारणीयता, बजट के उद्देश्य के सापेक्ष निष्पादन, राजस्व तथा व्यय अनुमान, विचलन के कारणों और इसके प्रभाव की जानकारी प्रदान करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (वर्तमान मूल्यों पर) वर्ष 2019-20 में ₹ 10,00,032 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 15,28,385 करोड़ हो गया जो गत वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.56 प्रतिशत बढ़ा। राज्य का बजट परिव्यय वर्ष 2019-20 में ₹ 2,39,959.67 करोड़ से 13.88 प्रतिशत की औसत दर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 4,03,547.25 करोड़ हो गया।

राजस्व प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में 4.25 प्रतिशत बढ़ी यद्यपि जीएसडीपी से राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत वर्ष 2022-23 में 14.36 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2023-24 में 13.30 प्रतिशत रह गया। गत वर्ष की तुलना में कर राजस्व 12.15 प्रतिशत बढ़ा और राज्य का स्व-कर राजस्व 7.72 प्रतिशत बढ़ा। राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और ऋण एवं अग्रिम) वर्ष 2022-23 में ₹ 2,46,452 करोड़ से 9.26 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 2,69,275 करोड़ हो गया। इसमें से राजस्व व्यय में वर्ष 2022-23 से 6.96 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। राजस्व घाटा वर्ष 2022-23 की तुलना में 23.70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 31,491 करोड़ से बढ़कर ₹ 38,955 करोड़ हो गया, जबकि राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 में ₹ 51,028 करोड़ से 28.52 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 65,580 करोड़ हो गया।

प्राप्ति-व्यय असंतुलन

प्राप्तियों और व्यय के बीच निरंतर असंतुलन बढ़ते राजकोषीय तनाव का संकेत देता है। राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत जैसे राज्य का स्व-कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, करों में राज्य के हिस्से का हस्तांतरण, सहायतार्थ अनुदान, संघ सरकार से हस्तांतरण एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व लेखों पर व्यय के साथ-साथ पूंजीगत व्यय (सम्पत्ति सृजन, ऋण एवं अग्रिम, निवेश आदि) शामिल है।

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक राजस्व प्राप्तियाँ चक्रवृद्धि औसत वार्षिक वृद्धि दर 9.75 प्रतिशत के साथ ₹1,40,114 करोड़ से बढ़कर ₹2,03,276 करोड़ हो गई। इस अवधि के दौरान पूंजीगत प्राप्तियाँ ₹41,831 करोड़ से बढ़कर ₹ 58,687 करोड़ हो गई। वर्ष 2023-24 के दौरान 83.32 प्रतिशत पूंजीगत प्राप्तियाँ निवल आन्तरिक ऋणों से एवं 15.97 प्रतिशत भारत सरकार से निवल ऋणों एवं अग्रिमों से आई। राजस्व प्राप्तियों में सहायतार्थ अनुदान का हिस्सा मुख्यतः राजस्व घाटा अनुदान एवं स्थानीय निकायों को अनुदान में उल्लेखनीय कमी के कारण वर्ष 2019-20 में 20.77 प्रतिशत से घटकर वर्ष

2023-24 में 11.04 प्रतिशत रह गया। राज्य सरकार को वर्ष के दौरान केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय अंश के रूप में ₹14,263 करोड़ प्राप्त हुए।

सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने और विगत दायित्वों के भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के आधारभूत ढांचे और सेवा तंत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। वर्ष 2019-20 और 2023-24 के बीच, राजस्व व्यय ₹1,76,485 करोड़ से बढ़कर ₹2,42,231 करोड़ हो गया। इस अवधि के दौरान यह लगातार कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (89.44 से 91.90 प्रतिशत) बना रहा।

एकल नोडल एजेंसी को निधियाँ

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने प्रत्येक केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सीएसएस) के कार्यान्वयन एवं निधियाँ जारी करने हेतु एकल नोडल एजेंसी तंत्र लागू किया। भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंश सरकारी लेखे से इतर एकल नोडल एजेंसी के खाते में हस्तान्तरित किया जाता है।

राज्य सरकार को अपने कोषालय खातों में 2023-24 के दौरान केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 12,954.28 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2024 को, सरकार द्वारा कोषालय खातों में प्राप्त हुए केंद्रीय अंश ₹ 12,712.31 करोड़ (पिछले शेष सहित) तथा राज्यांश ₹ 11,388.55 करोड़ एकल नोडल एजेंसियों को हस्तान्तरित किये गए। कुल हस्तान्तरित ₹24,100.86 करोड़ में से, ₹12,880.02 करोड़ सहायतार्थ अनुदान बिलों के माध्यम से, ₹ 6,760.47 करोड़ परिपूर्ण आकस्मिक बिलों के माध्यम से ₹ 3,944.52 करोड़ निजी निक्षेप खातों के माध्यम से तथा ₹ 515.85 करोड़ वर्क्स अकाउंटिंग मॉड्यूल (वाम) के माध्यम से हस्तान्तरित किए गए।

सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली की एकल नोडल एजेंसी-01 रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2024 तक एकल नोडल एजेंसी के बैंक खातों में ₹4,713.71 करोड़ अव्ययित पड़े थे, जो कि सरकारी लेखों से बाहर है।

संसाधनों से अधिक व्यय के परिणाम

राजस्व प्राप्ति पर राजस्व व्यय की अधिकता के परिणामस्वरूप राजस्व घाटा होता है। राज्य का राजस्व घाटा एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2019-20 में ₹ 36,371 करोड़ से बढ़कर चालू वर्ष में ₹ 38,955 करोड़ हो गया।

राज्य सरकार ने पूंजीगत मद में ₹ 26,646 करोड़ व्यय किए। यह 2023-24 में कुल व्यय का 9.90 प्रतिशत था। पूंजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में ₹ 6,848 करोड़ (34.59 प्रतिशत) बढ़ा। उधार ली गई निधियों का उपयोग मुख्य रूप से वर्तमान उपभोग को पूरा करने और उधारों के पुनर्भुगतान के लिए किया जाता है एवं निवल उधारों का मात्र 8.76 प्रतिशत वर्ष के दौरान पूंजी सृजन/विकास गतिविधियों के लिए उपलब्ध था।

राज्य के कुल व्यय और कुल गैर-ऋण प्राप्ति के बीच अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा होता है। राज्य का राजकोषीय घाटा वर्ष 2019-20 में ₹ 37,654 करोड़ (जीएसडीपी का 3.77 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 65,580 करोड़ (जीएसडीपी का 4.29 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत, प्रतिबद्ध व्यय की मात्रा सबसे बड़ा हिस्सा है। प्रतिबद्ध व्यय का संसाधनों पर प्रथम भार होता है और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय और पेंशन शामिल हैं। वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान ब्याज भुगतान, वेतन और पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का औसत 53 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2019-20 में ₹ 93,470 करोड़ (52.96 प्रतिशत) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 1,26,730 करोड़ (52.32 प्रतिशत) हो गया {वर्ष 2022-23 की तुलना में 9.48 प्रतिशत बढ़ा}।

प्रतिबद्ध व्यय के अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान अलोचनीय व्यय राजस्व व्यय के 23.72 प्रतिशत से कम होकर 20.75 प्रतिशत रह गया, जो एक घटती प्रवृत्ति दर्शाता है। अलोचनीय व्यय वर्ष 2022-23 में ₹ 64,525 करोड़ से 22.09 प्रतिशत की कमी दर्ज करते हुए वर्ष 2023-24 में ₹ 50,270 करोड़ रह गया।

साथ ही, वर्ष 2023-24 में प्रतिबद्ध और अलोचनीय व्यय ₹ 1,77,000 करोड़ था जो कि राजस्व व्यय का 73.07 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध और अलोचनीय व्यय पर अधिक राशि सरकार के लिए अन्य क्षेत्रों/योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए कम संभावना छोड़ती है।

अर्थ-सहाय्य गैर-प्रतिबद्ध व्यय का बड़ा हिस्सा

गैर-प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत, अर्थ-सहाय्य की बढ़ती प्रवृत्ति है, जो वर्ष 2019-20 में ₹ 18,990 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 28,402 करोड़ हो गई है। इस अवधि के दौरान कुल अर्थ-सहाय्य का 95.20 प्रतिशत से लेकर 98.18 प्रतिशत के मध्य एक बड़ा हिस्सा उर्जा क्षेत्र में अर्थ-सहाय्य का रहा।

प्रत्याभूतियों के कारण आकस्मिक देयतायें

बकाया प्रत्याभूतियाँ वर्ष 2022-23 में ₹ 1,04,832 करोड़ से 5.81 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023-24 में ₹ 1,10,918 करोड़ हो गई और यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 2,03,276 करोड़) का 54.57 प्रतिशत थी। वर्ष के दौरान कोई प्रत्याभूति लागू नहीं हुई।

उपकर/अधिभार का संग्रहण

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक सात आरक्षित निधियों/जमा निधियों में ₹ 7,393.18 करोड़ कम हस्तांतरित किए।

राजकोषीय धारणीयता

राजकोषीय धारणीयता की जाँच वृहत्त राजकोषीय मानकों के सन्दर्भ में की जाती है जैसे घाटे, ऋण और देयताओं के स्तर, बजट से इतर उधार के कारण प्रतिबद्धतायें, प्रत्याभूतियाँ, अर्थ-सहाय्य इत्यादि। जहाँ तक राजस्व और व्यय के असंतुलन का प्रश्न है, प्रतिबद्ध और आलोचनीय व्यय एक महत्वपूर्ण बाधा है,

जिसमें वेतन एवं मजदूरी, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि शामिल हैं और अन्य अलोचनीय व्यय जैसे कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, आरक्षित निधियों को हस्तांतरण, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण आदि भी शामिल हैं।

एफआरबीएम अधिनियम आवश्यकताएँ और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

एफआरबीएम अधिनियम/नियम कुछ सीमायें निर्धारित करते हैं जिनके अंतर्गत, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में ऋण होना चाहिए। एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाये रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। राज्य सरकार लगातार ग्यारहवें वर्ष शून्य राजस्व घाटा हासिल करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। जबकि वर्ष 2023-24 में राज्य का राजकोषीय घाटा (जीएसडीपी का 4.29 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम (जीएसडीपी का 3 प्रतिशत) में लक्षित आंकड़े से अधिक था, यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई समग्र वित्तीय सीमा (जीएसडीपी का 4.06 प्रतिशत) से भी अधिक था। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में बकाया देयतायें 38.20 प्रतिशत की सीमा के समक्ष 36.62 प्रतिशत थी और वर्ष 2023-24 के दौरान बकाया प्रतिभूतियों का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (28.98 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा (60 प्रतिशत) के भीतर था।

इसके अलावा, यदि बजट से इतर उधार की मात्रा को ऋण के रूप में शामिल किया जाता है, तो सरकार की कुल देयतायें (लोक ऋण और लोक लेखा देयताओं सहित) जीएसडीपी का 37.15 प्रतिशत थी। राजकोषीय प्रवृत्तियों के अनुसार, राज्य के वित्त पर भारी दबाव है।

राजस्थान का कुल ऋण-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2019-20 में 35.27 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 36.62 प्रतिशत हो गया, जो दर्शाता है कि निकट भविष्य में ऋण स्थिरीकरण जटिल हो सकता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान ऋण-जीएसडीपी अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक रहा। विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य का राजकोषीय घाटा भी जीएसडीपी के लक्षित तीन प्रतिशत से अधिक रहा। विगत पांच वर्षों के दौरान 87 प्रतिशत से अधिक उधारों का उपयोग बकाया ऋणों के पुनर्भुगतान (ब्याज सहित) के लिए किया गया। जीएसडीपी की तुलना में ऋण का उच्च अनुपात यह दर्शाता है कि राज्य का बोझ उसके आर्थिक उत्पादन की तुलना में काफी अधिक है और वित्तीय भेद्यता को दर्शाता है एवं राजकोषीय लचीलेपन को कम करता है।

वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 को छोड़कर नोमिनल जीएसडीपी दर समग्र ऋण की वृद्धि दर से कम थी। इसका तात्पर्य है कि वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2023-24 में ऋण वृद्धि नोमिनल वृद्धि दर से आगे निकल गई जिससे इन वर्षों में राज्य का ऋण भार और बढ़ गया।

राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल ऋण पर ब्याज भुगतान का बोझ सभी पांच वर्षों में 15 प्रतिशत से अधिक रहा। यह 2021-22 में 15.28 प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 16.79 प्रतिशत हो गया। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में यह विगत पांच वर्षों के दौरान 13 प्रतिशत से अधिक रहा और पिछले तीन वर्षों के दौरान इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गयी। यह एक अस्थिर ऋण प्रक्षेपवक्र को दर्शाता है।

राज्य के बाजार ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा से पता चलता है कि 31 मार्च 2024 तक कुल बाजार ऋण का 63.66 प्रतिशत (₹ 2,28,432 करोड़) पांच वर्ष से अधिक समय के बाद चुकाया जाना है जो ऋण की लम्बी अवधि को दर्शाता है। यह आगामी लघु एवं मध्यम अवधि में रोल-ओवर जोखिम को सीमित करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम लेने के अवसरों की संख्या 2019-20 में तीन से बढ़कर 2023-24 में 170 हो गई और विगत पांच वर्षों के दौरान मार्गोपाय अग्रिम की राशि में वृद्धि की प्रवृत्ति है। *बड़ी मात्रा में मार्गोपाय अग्रिम का निरंतर उपयोग कमजोर तरलता प्रबंधन को दर्शाता है जो कमजोर राजकोषीय प्रबंधन का द्योतक है एवं अल्पकालिक स्थिरता को बाधित करता है।*

डोमार गैप (ब्याज वृद्धि का अंतर जैसे वास्तविक वृद्धि-वास्तविक प्रभावी ब्याज दर) 2020-21 को छोड़कर विगत पांच वर्षों के दौरान सकारात्मक रहा जो कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक मंदी के कारण हुआ, जबकि राज्य का प्राथमिक शेष विगत पांच वर्षों के दौरान नकारात्मक रहा। हालाँकि प्राथमिक घाटे में अस्थिर प्रवृत्ति देखी गई। उधार पर राज्य की बढ़ती ब्याज देनदारी के साथ, यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि राज्य के लिए ऋण धारणीय है।

बजट निष्पादन

कुल व्यय परिणाम

बजटीय प्रयोजन और बजट कार्यान्वयन के सन्दर्भ में बजट निष्पादन की जाँच यह आंकलन करने के लिए की जाती है कि आधिक्य और बचत दोनों के सन्दर्भ में कुल व्यय परिणाम किस सीमा तक वास्तविक रूप से अनुमोदित राशि को दर्शाता है।

राजस्व अनुभाग में, बजट अनुमान के समक्ष परिणाम में विचलन (-) 6.92 प्रतिशत था। यह 49 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के मध्य, 12 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, एक अनुदान में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और एक अनुदान में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के विचलन के कारण था। हालाँकि, राजस्व अनुभाग के एक अनुदान के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। पूंजीगत अनुभाग में, बजट अनुमान के समक्ष परिणाम में विचलन (+) 42.34 प्रतिशत था। यह 12 अनुदानों में 0 और ± 25 प्रतिशत के मध्य, 13 अनुदानों में ± 25 प्रतिशत से ± 50 प्रतिशत के मध्य, 33 अनुदानों में ± 50 प्रतिशत से ± 100 प्रतिशत के मध्य और चार अनुदानों में 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक के विचलन के कारण था। हालाँकि पूंजीगत अनुभाग के दो अनुदानों के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

यह देखा गया कि वर्ष 2023-24 के दौरान 32 मामलों में ₹ 7,468 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 25 करोड़ से अधिक) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं पहुँचा।

अनुदान/विनियोजन से आधिक्य का नियमितीकरण

राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205(1)(बी) के अनुसार अनुदान/विनियोजन पर आधिक्य को राज्य विधानमंडल द्वारा नियमितीकरण करना होता है। यह देखा गया कि वर्ष 2023-24 में दो अनुदानों के तहत ₹77.73 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ, जिसके नियमितीकरण करने की आवश्यकता थी।

राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में गलत प्रकटीकरण

राज्य सरकार ने सहायतार्थ अनुदान प्रदान करने के लिए पूंजीगत शीर्षों के तहत ₹8.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया था एवं स्वायत्त निकायों को सहायतार्थ अनुदान के रूप में ₹4.00 करोड़ हस्तांतरित किए थे। इस व्यय को भारत सरकार लेखांकन मानक (आईजीएस), सरकारी लेखा नियम (जीएआर) और सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (जीएफ एंड एआर) के प्रावधानों का उल्लंघन कर अनियमित रूप से राजस्व के स्थान पर पूंजीगत व्यय के रूप में दर्ज किया गया था।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन से पता चलता है कि वास्तविक व्यय और मूल बजट के साथ-साथ वास्तविक व्यय और संशोधित बजट के बीच विचलन 10 प्रतिशत से कम था, यद्यपि विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत तक और उससे भी अधिक विचलन रहा। आगे, यह भी देखा गया कि अधिकतर मामलों में अनुपूरक अनुदान लिये गये थे जहाँ व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं पहुँचा था। ऐसे विचलनों से निपटने के लिए एक विश्वसनीय बजट प्रणाली की आवश्यकता है।

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग में वे मंद, लेनदेन और घटनायें सम्मिलित हैं जो अनुपालन में अन्तराल, नियमितता की कमजोरियों और उन लेखांकन अभिलेखों या समायोजन अभिलेखों की प्राप्ति में विलम्ब के मामलों से सम्बंधित हैं जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखों और वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बंधित मामले जैसे कि निधियों का अवरोधन और देयताओं के कम या गैर-भुगतान पर भी प्रकाश डालता है।

बजट से इतर उधार

राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्थानीय निकायों के माध्यम से उधार लेती है जो राज्य की समेकित निधि में नहीं आता है लेकिन बजट के माध्यम से पुनर्भुगतान और अदायगी किया जाना आवश्यक है। वर्ष 2023-24 में, राज्य सरकार ने बजट से इतर उधारों के पुनर्भुगतान और ब्याज अदायगी के लिए ₹ 702.87 करोड़ की सहायता/अनुदान प्रदान किया। यह सरकार द्वारा पुनर्भुगतान और उधारों पर दिए गए ब्याज के अतिरिक्त था।

अंक मिलान

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (जीएफ एवं एआर) के नियम 11(3) के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के आंकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान के द्वारा लेखांकित आंकड़ों के साथ अंकमिलान आवश्यक है। वर्ष 2023-24 के दौरान, नियंत्रण

अधिकारियों द्वारा (i) कुल व्यय ₹ 2,42,230.88 करोड़ और (ii) कुल प्राप्तियों ₹ 2,03,276.28 करोड़ का 100 प्रतिशत अंक मिलान किया गया। वास्तव में, विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार व्यय और प्राप्तियों का शत प्रतिशत अंक मिलान करने में सफल रही है।

भारत सरकार लेखा मानकों (आईजीएस) का अनुपालन

भारत सरकार लेखा मानकों (आईजीएस) के अनुपालन की आवश्यकताओं के सापेक्ष राज्य सरकार ने आईजीएस-1 का अनुपालन किया। हालाँकि उसने आईजीएस-2 में निर्धारित वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान का प्रकटीकरण नहीं दिया और आईजीएस-3 में निर्धारित राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम के बारे में आंशिक प्रकटीकरण नहीं किया। इसके अतिरिक्त पूर्व अवधि समायोजन से सम्बंधित आईजीएस-4 लागू नहीं है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान पूर्व अवधि का कोई समायोजन नहीं किया गया था।

पीडी खातों का संचालन

2,451 निजी निक्षेप खातों में ₹13,762.90 करोड़ की अव्ययित राशि में 24 निजी निक्षेप खाते (प्रत्येक में ₹100 करोड़ या अधिक शेष हैं) शामिल हैं जिनमें ₹ 8,598.34 करोड़ की राशि अर्थात् कुल अव्ययित शेष (₹ 13,762.90 करोड़) का 62.47 प्रतिशत पड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि और नगरपालिका निधि में उपयोग के लिए लंबित वृहत अवशेष हैं। इसके अलावा, इन निधियों को बैंक खाते में रखने के कारण ग्राम पंचायतों के खातों में पड़ी अप्रयुक्त निधियों की उचित स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

सशर्त अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र

एक निर्धारित समय अवधि के भीतर सशर्त अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 को ₹ 1,122.12 करोड़ के 996 उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित थे। निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र न केवल वित्तीय जवाबदेही तंत्र को कमजोर करते हैं, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि विभागीय अधिकारियों ने निर्धारित उद्देश्य के लिए अनुदान का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया।

सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल

इसी प्रकार, सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से निकाली गई अग्रिम धनराशि के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 81.29 करोड़ के 197 सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने के लिए लंबित थे, जिनमें से ₹ 64.35 करोड़ के 14 सारांशीकृत आकस्मिक बिल 2022-23 तक की अवधि से सम्बंधित हैं। पर्याप्त अवधि व्यतीत होने के बाद भी सारांशीकृत आकस्मिक बिलों का असमायोजित रहना विभाग के साथ-साथ कोषालयों के स्तर पर अनुश्रवण की कमी को इंगित करता है।

लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकन

उसी मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध होने पर भी लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकन करने से लेखों की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के दौरान 57 मुख्य लेखा शीर्षों के तहत ₹ 14,260.44 करोड़ को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया जो कुल राजस्व और पूंजीगत व्यय का 5.30 प्रतिशत था। इसी प्रकार, लेखों के 44 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 9,138.35 करोड़, जो कुल राजस्व प्राप्तियों का 4.50 प्रतिशत है, को लेखों में लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था।

गबन, चोरी और हानि

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2024 तक विभिन्न विभागों में ₹131.06 करोड़ की सरकारी धन की गबन, चोरी और हानि के 748 प्रकरण दर्ज किए, जिन पर अंतिम कार्यवाही लंबित है।

प्रचलित नियमों और संहिता प्रावधानों के अनुपालन से तात्पर्य लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग में नियंत्रण और जवाबदेयता सुनिश्चित करने से है। गैर-अनुपालन और विचलन, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सशर्त अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं करना, सारांशिकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत नहीं करना, आईजीएस-2 एवं आईजीएस-3 का अनुपालन न करने और व्यय को उचित लेखा शीर्षों के अंतर्गत दर्ज न करने से लेखों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।